503/19/223 **अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर**

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नंबर व तारीख अहकाम की तामील जारी हुए
	श्री शशिकान्त जोशी - अमन भवर श्री मोहित सोनी 1 से 3 GA 4,5	
5.10.21	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रार्थना पत्र आदेश धारा 10 सपठित धारा 151 जा0दी0 हेतु पेश हुई। विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि प्रश्नगत अपील में कृषि भूमि स्थित बिजयनगर अजमेर खसरा नंबरान 181 रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा व खसरा संख्या 182 रकबा 1 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 9 बीघा 19 बिस्वा भूमि वादग्रस्त है तथा इसी आराजी बाबत् एक द्वितीय अपील संख्या 6467/2014 बउनवानी ओमप्रकाश बनाम लाडदेवी माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के समक्ष विचाराधीन है एवं उक्त द्वितीय अपील में उपरोक्त आराजियात बाबत् ही उभयपक्षों के मध्य हकों व अधिकारों का विनिश्चय/अभिनिर्धारण होना शेष है तथा जिस आराजी का स्वत्व उच्चतर न्यायालय यथा मण्डल के स्तर पर अभिनिर्धारित होना शेष हो तो ऐसी आराजी का खाता विभाजन निम्नतर न्यायालय द्वारा किया जाना न्यायोचित नहीं है । अतः प्रकरण में विवादित आराजी का टाईटल विवादित होने से खाता विभाजन की अपील प्रक्रिया मण्डल में विचाराधीन द्वितीय अपील के अंतिम निर्णय तक स्थगित किया जाना न्यायोचित है । अतः प्रथम अपीलीय न्यायालय को धारा 10 जा0दी0 के आधार पर उनके समक्ष विचाराधीन विभाजन की कार्यवाही को तब तक स्थगित किया जाना न्यायोचित है जब तक माननीय मण्डल द्वारा विवादित कृषि भूमि के बाबत् खातेदारी अधिकारों का विनिश्य नहीं हो जाता है तब तक विवादित भूमि का विभाजन न्यायोचित नही है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 10 जा0दी0 स्वीकार कर प्रश्नगत अपील की कार्यवाही उपरोक्त विधिक परिपेक्ष्य में माननीय मण्डल के समक्ष लंबित अपील संख्या 6467/2014 के अंतिम निर्णय तक स्थगित किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान किये जावे । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में कथन किया कि रेस्पो0 ने विवादित आराजियात जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के खातेदार से क्रय कर कब्जा काश्त प्राप्त किया है । जिसके आधार पर रेस्पो0 विवादित आराजियात में अपने क्रयशुदा हिस्से का विधिक विभाजन कराने के अधिकारी है । अधी0न्याया0 ने 1/4 हिस्से का विधिक विभाजन करने की प्राथमिक डिक्री पारित की है जो विधिसम्मत् है । मान0 मण्डल में विचाराधीन अपील हक खातेदारी घोषणा के संबंध में है जबकि माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील बंटवारे के संबंध में होकर दोनों प्रकरणों की प्रकृति भिन्न है । यह भी कथन किया कि बहनों द्वारा अपने भाईयों के हक में विवादित आराजियात का हक त्याग कर दिया था जिससे बहनों का अब विवादित आराजियात में कोई हक व अधिकार शेष नहीं रहता है । हक त्याग फर्जी होने के संबंध में पुलिस थाना में एफ0आई0आर भी दर्ज कराई गई थी जिसमें बाद जांच एफ0आर0 लग चुकी है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 10 जा0दी0 निरस्त किया जाकर अपील का गुणावगुण पर निस्तारण किया जावे । अपने कथनों के समर्थन में विद्वान वकील रेस्पो0 ने देहली हाई कोर्ट द्वारा विजय कुमार व अन्य बनाम मनोहरलाल व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 19.5.1978 एवं कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा जे0सी0 रॉय चौधरी बनाम कृष्णा पेपर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

--- लगातार

RA 503/19/223 ओमप्रकाश V/s जितेन्द्र

05.10.21	बोर्ड मिल्स व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 8.5.1987 की प्रतियां पेश की है। हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एव पत्रावली पर उपलब्ध पर दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल में विचाराधीन अपील डिक्री 6467/2014 बउनवान ओमप्रकाश वगै0 बनाम श्रीमती लाडदे0ी व अन्य की प्रति प्रमाणित प्रति पेश की है जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात के संबंध में राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.10.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील विचाराधीन है जिसमें स्व0 कल्याणमल की पुत्रियां भी अपीलांटस पक्षकार है । उक्त अपील में अपीलांट संख्या 4, 5 व 6 ने कथन किया है कि वे खातेदार अशरफी देवी की पुत्रियां है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 के तहत समान हक हिस्से की अधिकारिणी है । अपीलांट संख्या 4, 5 व 6 ने कभी भी हक त्याग नहीं किया है इसके बावजूद नामांतकरण केवल मात्र पुत्रों के नाम तस्दीक कर दिया गया है । माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष खातेदारी घोषणा की अपील विचाराधीन है जिसमें पुत्रियों के हक व अधिकारों का निर्धारण होना शेष है । जबकि हस्तगत अपील वादी/रेस्पो0 संख्या 1 से 3 द्वारा क्रय किये जाने के आधार पर अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत बंटवारे के वाद में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.10.2016 के विरूद्ध पेश की गई है । अधी0न्याया0 ने उक्त निर्णय द्वारा वादीगण/रेस्पो0 का वाद डिक्री कर विवादित आराजियात खसरा नंबर 181 व 182 में 1/4 हिस्से का खातेदार वादीगण/रेस्पो0 को घोषित कर बंटवारे की प्राथमिक डिक्री पारित की है। जबकि इन्हीं आराजियात बाबत् स्व0 अशरफी देवी की पुत्रियों द्वारा हक खातेदारी घोषणा के संबंध में माननीय राजस्व मण्डल में अपील विचाराधीन है जिसमें बाद साक्ष्य एवं सुनवाई अशरफी देवी के विधिक वारिसानों के हक व अधिकारों का निर्धारण किया जावेगा । ऐसी स्थिति में अशरफी देवी के समस्त विधिक वारिसानों के हक निर्धारण से पूर्व वादीगण/रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत बंटवारे के वाद में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.10.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में किसी प्रकार का निर्णय किया जाना उचित नहीं समझते है । अतः अपीलांटस/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 10 सपठित धारा 151 जा0दी0 स्वीकार किया जाता है तथा हस्तगत अपील संख्या 503/2019/223 बउनवान ओमप्रकाश व अन्य बनाम जितेन्द्र कुमार व अन्य में अपील कार्यवाही माननीय राजस्व मण्डल में विचाराधीन अपील संख्या 6467/2014 बउनवानी ओमप्रकाश बनाम लाडदेवी के निर्णय तक स्थगित की जाती है । पक्षकारान द्वारा माननीय राजस्व मण्डल में निर्णय होने के उपरांत निर्णय की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर अपील पुनः नंबर पर ली जावे । तद्नुसार पत्रावली निर्णित की जाती है । आदेश आज दिनांक 5.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया । (मेघना चौधरी) राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर	